न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी — जगदीश आर्य
आर ए एस

अपील संख्या — 36/2021

मालाराम पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम ललाना तहसील पावटा जिला जयपुर

बनाम

1. तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान
2. रूडाराम पुत्र रामकुवार जाति अहिर निवासी ललाना तहसील पावटा जिला जयपुर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15/4/2021 तहसीलदार पावटा

निर्णय दिनाक 5/2/2021

अपीलान्ट तहसीलदार तहसील पावटा के आदेश 15/4/2021 के विरूद्व ... **न्यायालय** हाजा में पेश की है, जिसके वर्णित तथ्य सक्षेप मे निम्न भाति पेश है

1. **यह है** कि अपीलान्ट आराजी ख.नं. 104/0.61 वाके मौजा ललाना तहसील ... **जयपुर** का खातेदार काश्तकार काबिज है। अपीलान्ट को उपरोक्त आराजी ... **लिए** रास्ते की आवश्यकता थी इसलिए अपीलान्ट ने अपनी भूमि मे से 689 ... **समर्पणनामा** राज्य सरकार के हक में तहरीर करवाकर दिनाक 13 ... **पावटा** में पजियन करवाया ओर उस समर्पणनामा के आधार पर तहसीलदार ... **आराजी** अलग से नम्बर 429/104 रकबा 0.0689 गे0मु0 रास्ता बनाया जाकर ... **और नक्शे** मे इन्द्राज किया गया ओर नक्शे में व रग सुर्ख लाईन से रास्ते ... **गया। इस** सम्बन्ध मे नामा राज्य सरकार के हक मे भरा जाकर दिनाक 06 ... **तस्दीक** किया गया ओर इसके बाद रास्ता कायम किया गया। तहसीलदार ... **समस्त** कार्यवाही स्वय के द्वारा सम्पन्न करायी गयी। इसके बाद प्रार्थना पत्र पेश ... **तहसीलदार** पावटा द्वारा 15/4/2021 को अपीलान्ट के रास्ते के बारे मे ... **समर्पण–पत्र** निरस्त करने का आदेश फरमाया साथ ही नामा को निरस्त करने ... **आदेश प्रदान** किया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।
2. **यह है** कि तहसीलदार पावटा को आदेश पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के विपरीत व ... **विपरीत** होने से प्रथम दृष्टया काबिल मनसूखी है।
3. **यह है** कि तहसीलदार पावटा ने स्वय के समर्पणनामा अपने द्वारा करवाकर ... **द्वारा ही** रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जो ... **बहार था** क्योकि रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने का तहसीलदार पावटा ... **अधिकार** नही था केवल सिविल कार्यवाही उसे अपास्त या निरस्त कर सकती है ... तहसीलदार को आदेश पूर्णतया गलत व अपास्तनीय है।

4. यह है कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर अनाधिकृत रूप से उसके मकान बने हुय दिखाकर के ओर रास्ते के समर्पणनामा को निरस्त करने की जो कार्यवाही की है। वह पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार से बहार व गलत होने के कारण काबिले मसुखी है।
5. यह है कि तहसीलदार पावटा को समर्पणनामा अपास्त करने का या नामा अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं है सारे कानून कायदे ताक मे रखकर मनकाने तौर पर जो आदेश दिनांक 15/4/2021 को पारित किया है वह काबिले मंसूखी है।
6. यह है कि तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश पूर्णतया रिकॉर्ड के विपरीत मौका स्थिती के विपरीत व कानून के विपरीत होने से काबिल मंसुखी है।
7. यह है कि अपीलान्ट को इस आदेश की कई दिनों तक जानकारी नहीं हो पायी उसके बाद अपीलान्ट बीमार हो गया, अपीलान्ट 77 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है और बीमार होने के कारण अपीलान्ट उसकी अपील निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका। तहसीलदार पावटा भी अपीलान्ट को निरंतर आश्वासन दिया जाता रहा कि मेरे से गलती हो गयी मे उसे ढीक कर दूंगा जिस कारण भी अपीलान्ट न्यायालय में समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है तथा अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार हांसिल है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार पावटा के आदेश 15/4/2021 को अपास्त फरमाया जाकर नामा.सं. 649 वाके मौजा ललाना व समर्पण–पत्र दिनांक 13/7/2020 को बहाल रखा जावें।
9. प्रार्थी रूडाराम पुत्र रामकुवार जाति अहीर निवासी ललाना द्वारा जरिये वकील प्रार्थना–पत्र 041 नियम 20 सीपीएल प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का पेश किया, जिसे बाद सुनवायी कर 06/10/2021 को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट के खाने में पक्षकार संयोजित किया गया।
10. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत किया गया जवाब में वर्णित किया है कि हाल आराजी ख.नं. 104/0.61 वाके मौजा ललाना की भूमि से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई तालुक वास्ता नहीं है अपितु उपरोक्त आराजी रेस्पोन्ट के पिता रामकुवार व उनके भाई रामजीलाल व उनके बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि है, जिससे उनके द्वारा स्वंय के रिहायसी मकान चार दिवारी लगा रखी है एवं 30 वर्षो से मौके पर मय परिवार निवास कर रहे है परन्तु उपरोक्त आराजी मालाराम अपीलान्ट के गलत रूप से दर्ज हो गयी, जिस बाबत उनके द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु वाद ब उनवानी रामजीलाल बनाम मालाराम वगैरह न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष मु.नं. 16/2020 प्रस्तुत किया हुआ है तथा उक्त वाद के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र मे न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित कर रखे है, जो आज भी यथावत है। तहसीलदार पावटा नई श्रृजित होने के उपरान्त अपीलान्ट ने ख.नं. 104/0.61 की भूमि में से 0.689 है0 गै0मु0 रास्ते हेतु समर्पण तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया जो उसे स्वीकार कर नामा दिनांक 06/8/2020 को

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

दर्ज कर दिया जबकि आ.ख.नं. 104 से अपीलान्ट का कोई लेना–देना नहीं रहा ना ही कभी कब्जा रहा। स्थगन के बावजूद भी तहसीलदार पावटा के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाया जाकर उक्त आदेश पारित कराये गये, जिसकी जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर उभयपक्षों को सुना गया। सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 15/4/2021 के द्वारा दिनांक 14/7/2020 को किया गया समर्पणनामा व उसके आधार पर दर्ज नामा.सं. 649 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त आदेश उभयपक्षों को सुनाकर पारित किये है। ऐसी सूरत में 15/4/2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील भू–अभिलेख निदेशक यानि माननीय आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी। उक्त आदेश 15/4/2021 को पारित हुआ है, जिसके विरूद्ध 02/9/2021 को अपील पेश की है। इसलिए मियाद बहार एवं क्षेत्राधिकार बहार पेश की है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। अपील का जिम्मन नम्बर 01 जिस प्रकार पेश किया है वह गलत एवं अस्वीकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने 15/4/2021 को जो आदेश पारित किया है पूर्णतया विधिअनुसार एवं उभयपक्षों को सुनकर पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से 13/7/2020 को हाल खसरा नम्बर 429 में से 0.0689 है0 भूमि का बतौर रास्ता हेतु समर्पण किया जाने का आदेश प्राप्त किया है वह पूर्णतया विधि विरूद्व व स्थगन आदेश होने के बावजूद किया गया था। इसलिए तहसीलदार पावटा द्वारा अपने पूर्ण पारित आदेश दिनांक 13/7/2020 को विधि अनुसार खारिज किया गया है। अपील का जिम्मन नं. 02 जिस प्रकार पेश किया है वह गलत एवं स्वीकार नहीं है। समर्पणनामा रजिस्टर्ड दस्तावेजात् नहीं है। अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाते हुये बावजूद स्थगन दिनांक 13/7/2020 को आदेश पारित कराया गया जिसकी जानकारी होने पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 13/7/2020 को पूर्णतया खारिज किया है। अपील का जिम्मन संख्या 03 जिस प्रकार जाहिर किया है वह स्वीकार नहीं है। उक्त प्रकरण में आराजी हाल खसरा नम्बर 104/0.61 वाके मौजा ललाना रेस्पोंडेन्ट रूडाराम का पिता रामकुवार की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें रिहायशी मकान बना रखे है, जिसमें रूडाराम अपने पिता के साथ मय परिवार निवास कर रहा है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तावित रास्ता का समर्पण रेस्पोंडेन्ट रूडाराम के मकानों से होकर जाना है। ऐसी सूरत में रूडाराम एक प्रभावित पक्षकार है। इससे प्रभावित होने के कारण रूडाराम ने तहसीलदार पावटा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त 15/4/2021 को अधिनस्थ न्यायालय आदेश पारित किया है जो विधि संगत है। अपील का जिम्मन नं. 04 जिस प्रकार जाहिर किया है वह स्वीकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुये सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन वाद एवं स्थगन के बावजूद रेस्पोंडेन्ट की भूमि पर मकानों से होते हुये रास्ते का समर्पण किया जाना प्रस्तावित किया था जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त अपने अधिकार क्षेत्र से उक्त आदेश पारित किये है। अपील के जिम्मन संख्या 5 जिस प्रकार जाहिर किया है गलत है स्वीकार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम गलत रूप से दौराने सैटलमेन्ट दर्ज किया गया जिस बाबत सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु रामकुंवार बनाम मालाराम मु.नं. 16/2020 विचाराधीन है। उपरोक्त आराजी हाल ख.नं. 104/061 वाके मौजा ललाना बाबत स्थगन आदेश मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने के आदेश पारित किये इसके अतिरिक्त मौके पर रेस्पोडेन्ट व उनके परिवारजन रामकंवार दशरथ रामजीलाल के रिहायशी मकान बने हुये हैं तथा चार दीवारी लगी हुयी है। फसल एवं पेड लगे हुये हैं यानि अपीलान्ट का उक्त भूमि स्टे कोई तालुक वास्ता नहीं है ना ही कभी काबिज रहा है तथा अपीलान्ट मालाराम द्वारा उक्त तथ्य को न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है मौके पर मकान वाद दायरी यानि 2010 से पूर्व से बने हुये है जो रामजीलाल द्वारा बाउण्डरी लगायी हुयी है ऐसी सूरत में तहसीलदार द्वारा उक्त सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने के उपरान्त ही उक्त आदेश 15/4/2021 को पारित किया है। जिम्मन संख्या 6 जिस प्रकार जाहिर किया है गलत है स्वीकार हनी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15/4/2021 उभयपक्षों की जानकार में व उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त ही पारित किया है तथा अपीलान्ट को शुरू से ही बखूबी जानकारी थी। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये कि अपीलान्ट को इस बाबत कोई जानकार नहीं थी। इसलिए अपीलान्ट द्वारा अपील अत्यधीक विलय से प्रस्तुत की गयी है जो किसी भी सूरत म चलने योग्य नहीं है। अपील के जिम्मन संख्या 7,8 गलत एवं स्वीकार नहीं है तथा अपील के जिम्मन संख्या 9 जिस प्रकार जाहिर किया है गलत है एवं स्वीकार नहीं है। अधिनस्थ न्याय ने उपरोक्त आदेश 15/4/2021 उभयपक्षों को सुनकर पारित किया है। तहसीलदार पावटा द्वारा उपरोक्त आदेश भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत से उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त पारित किये गये है ऐसी सूरत में उपरोक्त आदेश 15/4/2021 को पारित आदेश के विरूद्व अपील धारा 75 (च) भू-अलिेख निदेशक यानि संभागीय आयुक्त द्वारा सुनी जायगी। इसलिए क्षेत्राधिकार के बहार प्रस्तुत अपील किसी थी सूरत में चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील खारिज फरमावें।

11. वकील अपीलान्ट द्वारा क्षेत्राधिकार बाबत प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किया है कि दरखास्त देईन्दा का ना तो जमीन से तालुक वास्ता है ना ही समर्पण-पत्र से कोई तालुक वास्ता है। प्रार्थी/अपीलान्ट जमीन का खातेदार काश्तकार है। अपनी जमीन का समर्पण करने का रहन बेचान करने का अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार को अपने द्वारा समर्पण में ली गयी भूमि का समर्पण-पत्र खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। समस्त कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया शून्य है। तहसीलदार द्वारा अवैध कार्यवाही के विरूद्व अपील सुनने का अधिकार केवल न्यायालय श्रीमान् को है। अन्य किसी व्यक्ति को सुनवायी का अधिकार नहीं है। दरखास्त गुजार के कथनों से अपील संभागीय आयुक्त के यहां होगी पूर्णतया गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना-पत्र केवल न्याय में रूकावट डालने हेतु प्रस्तुत किया है, जिस व्यक्ति का कोई तालुक वास्ता नहीं है तो किसी प्रकार की दरखास्त देने का तथा तहसीलदार से मिलकर समर्पणनामा को गलत बताने को कोई अधिकार नहीं है। समर्पणनामा जिस व्यक्ति

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

के हक की भूमि से किया है उसे निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है ना ही वो प्रापर पक्षकार है एवं ना ही किसी प्रकार का प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थी काफी समय से खातदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थी काफी समय से खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उस अपनी जमीन को हर प्रकार से उपयोग उपभोग का तथा समर्पण करने का दान देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जब तक यह खातेदार काश्तकार नहीं बन जावें तब तक उस उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई भी उजर उठाने का या कोई दरखास्त देने का कतई कोइ अधिकार नहीं है। अपील निर्णय की जानकारी होने पर अन्दर मियाद पेश की गयी है जो तहसीलदार व अपीलान्ट के मध्य में है वे मंजूर हो या नहीं हो उससे दरखास्त गुजर का कोई तालुक वास्ता नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

12. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य सबूता का अवलोकन किया तथा अवलोकन करने एवं प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा जिला जयपुर ने दिनांक 15/4/2021 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रूडाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रकरण संख्या 02/2020 में आराजी ख.नं. 104 रकबा 0.61 है0 वाके मौजा ललाना तहसील पावटा में खातदार समर्पणकर्त्ता मालाराम पुत्र माधाराम जाति अहिर सा. देह द्वारा प्रस्तुत 689 वर्गमीटर का गै.मु रास्ता हेतु समर्पणनामा निरस्त किया गया है एवं समर्पणनामा के आधार पर नामा.सं 649 मौजा ललाना को भी निरस्त किया जाना पाया गया। वकील अपीलान्ट का बहस में अभिकथन है कि अपीलान्ट की आ.ख.नं. 104/0.61 है0 खातेदारी काश्त की भूमि है। अपीलान्ट को आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता थी जो अपनी भूमि में से 689 वर्गमीटर राज्य सरकार के हक में समर्पण कर समर्पणनामा दिनांक 13/7/2020 को पंजियन कराया जिसका नया नम्बर 429/104 रकबा 0.0689 गै.मु. रास्ता बनाया जाकर राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में इन्द्राज किया इसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश होने पर समर्पण–पत्र को दिनांक 15/4/2021 को खारिज कर दिया। तहसीलदार ने बिना क्षेत्राधिकार के रजिस्टर्ड समर्पणनामा स्वयं द्वारा निरस्त कर दिया गया जबकि सिविल कोर्ट ही अपारत या निरस्त कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दुसरे पक्ष से प्रभावित होकर अनाधिकृत रूप से उसमें मकान दिखकर रास्ते के समर्पणनामा को निरस्त किया है वह क्षेत्राधिकार से बहार व गलत है। अपीलान्ट काफी बीमार होने के कारण एवं तहसीलदार के आश्वासन के कारण अपीलान्ट अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका । इसलिए दफा–5 मियाद अधिनियम का अपील के संलग्न पेश किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार पावटा के आदेश 15/4/2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा नामा.सं. 649 वाके मौजा ललाना तहसील पावटा व समर्पण–पत्र दिनांक 13/7/2020 को बहाल रखा जावें । रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के वकील द्वारा अपनी बहस में अपीलान्ट वकील की बहस का खण्डन करते हुए अभिकथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 104/0.61 है0 वाके मौजा ललाना की भूमि से अपीलान्ट मालाराम का किसी प्रकार का कोई तालुक वास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट के पिता रामकुवार व उनके भाई रामजीलाल दशरथ उनके बुजुर्गान की खातेदारी भूमि है, जिसमें स्वयं के मकान व चार दीवारी लगा रखी है एवं 30 वर्षों से मय

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

परिवार निवास कर रहे है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेन्ट के दौरान गलत दर्ज हो गयी। इस बाबत सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 16/2012 व इसके सलग्न स्थगन प्रार्थना-पत्र पेश है जिसमें सीगन आदेश पारित कर राजस्व रिकॉर्ड मे यथास्थिति के आदेश है। पावट की नई तहसील श्रृजित होने पर अपीलान्ट ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर ख.नं. 104/0.61 है० में से 0.0689 है० गै०मु० रास्ता हेतु समर्पण प्रस्तुत किया तहसीलदार ने समर्पण को स्वीकार कर दिनांक 06/8/2020 को नामा. दर्ज किया गया। स्थगन आदेश की जानकारी होते हुये भी अपीलान्ट ने तथ्य छुपाकर तहसीलदार पावटा से उक्त आदेश पारित कराये है, जो विधि विरूद्व है। उक्त आदेश की रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुर्नवलोकन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त 15/4/2021 को समर्पणनामा आदेश 14/7/2020 व समर्पणनामा आदेश के आधार पर नामा.सं. 649 को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश उभयपक्षों को सुनकर पारित किया है। उक्त पारित आदेश 15/4/2021 के विरूद्व संभागीय आयुक्त के यहां अपील सुनी जायेगी, जिसके विरूद्ध उक्त अपील 02/9/2021 को मियाद बहार व क्षेत्राधिकार के बहार श्रीमान् न्यायालय को प्रस्तुत की गयी है, जो चलने योग्य नहीं है। समर्पणनामा रजिस्टर्ड दस्तावेजात् नहीं है बल्कि अपीलान्ट द्वारा गैर की भूमि को अपनी भूमि जाहिर करते हुये स्वयं का नाम उक्त भूमि में गलत होने का अंकन होने का नाजायज फायदा उठाते हुये बावजूद स्थगन के तथ्य छुपाकर उक्त आदेश 20/7/2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कराया है जो विधि अनुसार खारिज किया जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनको उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हों इसलिए अपीलान्ट अत्यधीक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है जो किसी भी सूरत में अपील चलने योग्य नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्राथना-पत्र बाबत क्षेत्राधिकार से बहार पेश करने के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना-पत्र के जवाब को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि दरखास्त गुजर ना तो उक्त जमीन से तालूक रखता है। अपीलान्ट को उक्त जमीन को रहन बेचान करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार की अवैध कार्यवाही के विरू, व समर्पण को अपास्त करने की कार्यवाही के विरूद्व अपील सुनवायी का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। किसी व्यक्ति को सुनवायी का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट का कहना गलत है कि अपील उक्त आदेश की अपील माननीय संभागीय आयुक्त के होगी केवल न्याय में रूकावट टालने के लिए उक्त प्रार्थना-पत्र पेश किया है। समर्पणनामा को तहसीलदार द्वारा केवल मुगालता देकर अपास्त कराया है ना ही आवश्यक पक्षकार एवं प्रभावित पक्षकार है। समर्पणनामा खारिज कराने बाबत कोई उजर उठाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपील अन्दर मियाद पेश की है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमावें ।

चूँकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मु.नं. 02/2020 के द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रार्थना-पत्र पेश होने पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत् पुनरावलोकन किया गया। तहसीलदार पावटा जिला जयपुर ने आ.ख.नं. 104 रकबा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

0.61 है0 में से 689 वर्गमीटर गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया गया है तथा पुनरावलोकन पारित आदेश 15/4/2021 को पारित किया जाना पाया गया। उक्त पारित आदेश में 689 वर्गमीटर गै0मु0 रास्ता बाबत समर्पणनामा आदेश 14/7/2020 तथा नामा सं. 649 वाके ग्राम लालाना तहसील पावटा जिला जयपुर को अपास्त किया गया है। उक्त विवादित खा.नं. 104/0.61 है0 बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 16/2012 विचाराधीन होना वकील रेस्पोडेन्ट ने जाहिर किया तथा इसके संलग्न स्थगन प्रार्थना-पत्र में स्थगन आदेश पारित होकर मौके की यथास्थिती के आदेश है। उक्त तथ्य को छिपाया जाकर अपीलान्ट ने तहसीलदार के समक्ष समर्पणनामा पेश कर गै0मु0 रास्ता का आदेश प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दर्ज कराया है तथा समर्पणनामा के आधार पर नामा सं. 649 स्वीकार कराया है जो विधि विरूद्व है, जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट के मकान बने हुये हैं तथा कब्जा भी रेस्पोडेन्ट का ही है। सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां वाद लम्बित होने पर तथा स्थगन आदेश होने से अधिनस्थ न्यायालय ने पुर्नविलोकन कर समर्पणनामा आदेश 14/7/2020 तथा इसके आधार पर दर्ज नामा. 649 वाके ग्राम लालाना तहसील पावटा को खारिज किया है, जो उचित एवं न्याय संगत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील 02/9/2021 को पेश की है जो मियाद बहार पेश की है। इस बाबत कोई साक्ष्य सबूत हेतु कोई ठोस कारण नहीं बताया है। वकील रेस्पोडेन्ट का भी बहस में अभिकथन है कि उक्त अपील श्रीमान् न्यायालय अति. जिला कलक्टर के यहां नहीं चल सकती है क्योंकि उभयपक्षों को सुनकर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जिसकी अपील श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय के यहां पेश होनी चाहिए जो क्षेत्राधिकार से बहार पेश की है। अत: अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील मियाद बहार एवं क्षेत्राधिकार से बहार पेश की है जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा RRT2010(2)1322 अपने समर्थन में पेश किया जो संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 2/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश 15/4/2021 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

13. यह निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)